न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रामराज मीना पुत्र बाबूलाल मीना जाति मीना उम्र 38 साल निवासी मण्डेरू तहसील टोड़ाभीम जिला करौली (राज.) — अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, करौली (राज.) — प्रत्यर्थी

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 11.03.2020 न्यायालय श्रीमान् जिला रसद अधिकारी, करौली मुकदमा नंबर 195 दिनांक 22.11.2019 उनवानी सरकार बनाम रामराज मीना, जिसकी रूह से प्राधिकार पत्र संख्या 328/08 दिनांक 20.08.2008 ग्राम पंचायत मण्डेरू को निरस्त किया गया है, के विरुद्ध

निर्णय

दिनांक 07.09.2020

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की शिकायत प्राप्त होने पर अपीलार्थी की दुकान की जांच हेतु दिनांक 05.11.2019 को जांच कमेटी गठित की गई। जांच में अपीलार्थी द्वारा राशन उपभोक्ताओं से शराब पीकर दुर्व्यवहार करना, पोस मशीन की पर्ची नहीं देना, पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर गेंहूं नहीं देना, 3.50 क्विं. गेंहूं एवं 51.5 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करना आदि अनियमितताएं पायी जाने पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र दिनांक 11.03.2020 को निरस्त करने का आदेश पारित किया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील, अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील दिनांक 1.03.2020 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकॉर्ड के विपरीत, विरुद्ध कानून होने से अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोण्डेण्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनवानी प्रकरण में दिये गये नोटिस का जवाब व दस्तावेजात अपीलाण्ट द्वारा पूर्व में ही दिया जा चुका है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जवाब व दस्तावेजों पर गौर ना कर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट पर लगाये गये आरोप निराधार व गलत हैं। 90.5 किलो चीनी का जो आरोप लगाया गया है, उसमें अटैच वाले डीलर ने मशीन में चीनी नहीं चढ़ा रखी थी। कम चढ़ रही थी जो डीलर को सुपुर्द कर दिया जिसकी रिसीप्ट की प्रति रेस्पोण्डेण्ट को नोटिस जवाब के साथ पेश की गई जो पत्रावली में पेश है। इसी प्रकार 100 लीटर केरोसीन का आरोप लगाया गया है उसमें भी अटैच डीलर ने सुपुर्दगी में दे दी थी जिसकी रिसीप्ट रेस्पोण्डेण्ट द्वारा दिये गये नोटिस के जवाब में पेश है एवं 3.50 क्विं. गेंहूं का जो आरोप लगाया गया है, उसमें शिकायतकर्ता लड़ाकू, झगड़ालू किस्म का आदमी है। हर व्यक्ति पर दबाब बनाकर नाजायज तंग व परेशान करता रहता है। शिकायतकर्ता ने अपना राशनकार्ड पूर्व से ही गुम होना बताया। राशन कार्ड के स्थान पर आधार कार्ड को हमेशा लाता था। आधार कार्ड की एण्ट्री कराकर गेंहूं लेता रहा है जिसकी जानकारी जांच अधिकारी को रही है एवं दो बार तो जांच अधिकारी के कहने पर भी शिकायतकर्ता को

Signature Not Verified

Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:10:59 IST
Reason: SelfAttested

बिना राशनकार्ड के आधार कार्ड पर गेंहूं दिया गया था एवं एस.डी.ओ. साहब टोड़ाभीम के कहने पर भी गेंहूं दिया गया था किन्तु शिकायतकर्ता दबाब बनाकर बन्दी बनाना/बांधना चाहता है। इसी कारणों से झूंठी शिकायत की गई है। इसके अलावा रेस्पोण्डेण्ट /एस.डी.ओ. साहब ने शिकायतकर्ता को अटैच डीलर के यहां राशन कार्ड अनुसार राशन लेने को भी लगाया गया जिसकी भी दबाब डालने के उद्देश्य से झूंठी शिकायतें की गई थीं। जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता के प्रभाव में आकर सही जांच नहीं की गई। उक्त गलत तौर पर की गई जांच को ही आधार मानकर बिना किसी दस्तावेज व जवाब पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोण्डेण्ट ने अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया। निर्णय दिनांक 11.03.2020 का है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 27.03.2020 को प्राप्त की गई। तभी से कोरोना वायरस का लॉक हो गया था। लॉकडाउन के कारण न्यायालय में कामकाज नहीं होने व आवागमन का साधन नहीं हाने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं हो सकी। अब लॉकडाउन खुलने पर न्यायालय में अपील पेश की है। इस समय की मियाद अवधि को कण्डोम करने के लिए अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश है। लॉक डाउन खुलने से अपील अंदर मियाद पेश की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी ने बहस के दौरान कथन किया है कि अपीलार्थी की शिकायत प्राप्त होने पर अपीलार्थी की दुकान की जांच हेतु दिनांक 05.11.2019 को जांच कमेटी गठित की गई। जांच में अपीलार्थी द्वारा वक्त जांच मूल प्राधिकार पत्र, ब्लूप्रिण्ट नक्शा, स्टॉक रजिस्टर एमपीआर की प्रति एवं यूनिट रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा राशन उपभोक्ताओं से शराब पीकर दुर्व्यवहार करना, पोस मशीन की पर्ची नहीं देना, पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर गेंहूं नहीं देना पाया गया। राशन डीलर द्वारा शिकायतकर्ता महेश चंद मीना के राशनकार्ड सं. 007623200631 पर 3.50 क्विं. गेंहूं एवं 51.5 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करना पाया गया। राशन सामग्री की ऑडिट करने पर यह पाया गया कि दिनांक 01.01.2019 को चीनी का प्रारंभिक स्टॉक 1.11 क्विं. एवं वक्त जांच तक आमद 2 क्विं. सहित कुल 3.11 क्विं. में से वक्त जांच तक 97 किलो चीनी का वितरण किये जाने के पश्चात् 2.14 क्विं. चीनी शेष होनी चाहिये थी जो 1.23.5 क्विं. पायी गई अर्थात् 90.5 क्विं. चीनी कम पायी गई। इसी प्रकार दिनांक 01.10. 2016 को केरोसीन का प्रारंभिक स्टॉक 0 लीटर एवं वक्त जांच तक आमद 8600 लीटर सहित कुल 8600 लीटर में से वक्त जांच तक 8500 लीटर केरोसीन का वितरण किये जाने के पश्चात् 100 लीटर केरोसीन शेष होना चाहिये था जो 00 लीटर पाया गया अर्थात् 100 लीटर केरोसीन कम पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा 90. 5 किलोग्राम चीनी एवं 100 लीटर केरोसीन की आमद मशीन में दर्ज ना कर उसका दुरुपयोग करना आदि अनियमितताएं पायी गयी। उक्त अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निलंबित किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर बिना साक्ष्य व सबूत के अपना जवाब पेश किया। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा राशन प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 17सी एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने पर अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो पूर्णतः विधिसम्मत् है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी की राशन दुकान की जांच दिनांक 20.11. 2019 को की गई। वक्त जांच अपीलार्थी स्वयं दुकान पर उपस्थित था। प्रत्यर्थी द्वारा राशन कार्ड संख्या 007623200631 पर 3.50 क्विं. गेंहूं एवं 51.5 लीटर केरोसीन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:10:59 IST
Reason: SelfAttested

दुरुपयोग करना बताया गया है लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा राशन कार्ड की प्रति संलग्न नहीं की गई है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सकता है कि वास्तव में उक्त राशन कार्ड पर अपीलार्थी द्वारा राशन सामग्री की अनियमितता की गई है। लेकिन वक्त जांच अपीलार्थी की राशन दुकान पर वक्त जांच उपलब्ध राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने एवं कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड से राशन सामग्री की ऑडिट किये जाने पर अपीलार्थी की राशन दुकान पर 90.5 क्विं. चीनी एवं 100 लीटर केरोसीन का कम पाया जाना, एक गंभीर अनियमितता है। अपीलार्थी का कथन है कि वक्त जांच, आलोच्य आदेश में अंकित राशन सामग्री गोदाम में मौजूद थी। यदि अपीलार्थी के पास उक्त सामग्री मौजूद थी तो जांच कमेटी को अन्य सामग्री के साथ–साथ कम पायी गई राशन सामग्री भी दिखाई जानी चाहिये थी। राशन प्राधिकार पत्र के साथ स्वीकृत दुकान के अतिरिक्त अन्य किसी जगह राशन सामग्री का भण्डारण नहीं किया जा सकता है। इससे यह विदित होता है कि अपीलार्थी के पास उक्त सामग्री वक्त जांच मौजूद नहीं थी। अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा उक्त राशन सामग्री का दुरुपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त जांच में अपीलार्थी द्वारा राशन उपभोक्ताओं से शराब पीकर दुर्व्यवहार करना, पोस मशीन की पर्ची नहीं देना, पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर गेंहूं नहीं देना आदि अनियमितताएं भी पायी गई हैं। अपीलार्थी के निलंबन उपरांत सुनवाई हेतु जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी स्वयं उपस्थित भी हुआ है तब भी अपीलार्थी द्वारा कम पाई राशन सामग्री व अन्य अनियमितताओं के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील, अपीलार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Sidharth Sihag
Date: 2020.09.11 18:10:59 IST
Reason: SelfAttested